20/12/16 प्रार्थना पत्र का मूलवाद अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना का चलने का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली नम्बर से कम हो। और मूल वाद के साथ संलग्न रहे।